न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

प्रकरण संख्या / प्रार्थना पत्र –48 / 2024

अनवान

भैरुलाल पुत्र किशनलाल, जाति अहीर यादव, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झरनी तहसी बावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़, राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. गीताबाई पत्नी सत्यनारायण नाई, जाति नाई, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़, राजस्थान।
2. जानीबाई पुत्री सत्यनारायण नाई, जाति नाई, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झरडानी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़, राजस्थान।
3 नाबालिग अनिता पुत्री गोविन्द संरक्षक सरपरस्त दादी गीताबाई पत्नी सत्यनारायण, जाति नाई, निवासी ग्राम झरानी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़, राजस्थान।
4. जतन बाई पत्नी घनश्याम, जाति अहीर यादव, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान। झरदानी,
5. फुलाबाई पत्नी गोविन्दलाल,जाति अहीर यादव, उम्र बालिग, निवासी ग्राम तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान।
6. जरिये भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार साहब रावतभाटा।

प्रतिवादी / विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित – श्री अर्जुन सिंह प्रार्थी
अप्रार्थी संख्या 02 लालचन्द प्रजापत।
अप्रार्थी संख्या 1,3,4,5 एकतरफा कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या 06 पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 16.04.2026

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खाजुपुरा, प०ह० बडोदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 18. खसरा संख्या 82 / 19 कुल किता 1, कुल रकबा 0.5400 हैक्टर लगानी 2.1600 पैसे जो खाते में मुझ प्रार्थी के खाते नाम दर्ज रिकॉर्ड है, जो कि उक्त कृषि आराजीयात पर मै प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूँ। उक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजीयात कि आराजी संख्या 82 / 19 पर आने जाने का रास्ता रावतभाटा रामगंजमण्डी मैन रोड से ग्राम खाजुपुरा कि खाता संख्या 14 खसरा संख्या 20 जो अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 के नाम खाते दर्ज रिकॉर्ड है से होता हुआ प्रार्थी के खेत पर नाले के पास पास आता है, उक्त रास्ता ग्राम खाजुपुरा कि आराजी संख्या 20 मे गाडी गडार बनकर निकला हुआ है, जिसे अप्रार्थीया गीताबाई द्वारा हांक कर बंद कर दिया गया है, जिससे मै प्रार्थी अपने खाते कि कृषि आराजीयात पर आ जा नहीं पा रहा हूँ तथा वर्तमान में मेरे खाते कि कृषि भूमि पड़त पड़ी हुई है। अप्रार्थीगण 01 से 05 खसरा संख्या 20 में जो गाडी गडार बनी हुई है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी कदीवी समय से करता चला आ रहा है, उक्त रास्ता मुझ प्रार्थी के बाप दादाओ के समय से ही बना हुआ है, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से अप्रार्थीया गीताबाई द्वारा उक्त रास्ते कि भूमि को दिनांक 28.05.2024 को हांक कर अवरोध उत्पन्न कर रही है, इसलिए आये दिन परेशानियो का सामना करना पडता है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र रास्ता कायम करने हेतू न्यायालय श्रीमान मे पेश करना आवश्यक हुआ है. इसके लिए प्रार्थी नियमानुसार डिएलसी राशि जमा कराने के लिए भी तैयार है। अंत में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम खाजुपुरा की आराजी संख्या 82 / 19 में आने जाने हेतू अप्रार्थीगणो 01 से 05 के खाते कि आराजी संख्या 20 मे गै०मु० रास्ता कायम कर राजस्व रिकॉर्ड मे तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 3, 4, 5 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिकवक्ता श्री लालचन्द प्रजापत द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए गए बावजूद जवाब पेश नहीं होने पर इनका जवाब न्यायालय द्वारा बन्द किया गया।

प्रकरण रास्ता कायमी का होने से अप्रार्थी संख्या 06 तहसीलदार रावतभाटा से मौका एवं स्थिति की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रावतभाटा ने प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 15.05.2025 व संशोधित रिपोर्ट 15.04.2026 में अंकित किया है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम खाजुपुरा प0ह0 बडौदिया के आराजी संख्या 82/19 रकबा 0.54है0 में रास्ते हेतु मौका निरीक्षण बाबात मौके पर प्रार्थी–अप्रार्थीगणों व उपस्थित मौतबिरानों के समक्ष मौका निरीक्षण किया गया। ग्राम खाजुपूरा के खाता संख्या 18 आराजी संख्या 82/19 रकबा 0.54है0 किस्म माल भूमि भैरूलाल पिता किशनलाल जाति अहीर (यादव) सा. झरझनी के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम खाजुपूरा के खाता संख्या 14 आराजी संख्या 20 रकबा 2.82है0 किस्म माल भूमि खातेदार ना.बा. अनिता पुत्री गोविन्द जाति नाई हिस्सा 1/5, जतनबाई पत्नि घनश्याम जाति अहीर हिस्सा 1/5, जानी बाई पुत्री सत्यनारायण हिस्सा 1/5 जाति अहीर, गीता बाई पत्नि सत्यनारायण हिस्सा 1/5, जाति अहीर सा. झरझनी के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी भैरूलाल के आराजी संख्या 82/19 में आने–जाने के लिए अन्य कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में कोई कुआ/ट्यूबवेल नहीं है एवं कोई न्यायालय स्थगन नहीं है। इस प्रकार आराजी संख्या 20 में लम्बाई 105 मी. व चौडाई 5 मी. अनुसार 105X5=525 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आएगी। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी दर 336174/– रूपये प्रति हैक्टेयर अथवा 33.61 रू प्रति वर्गमीटर है। प्रार्थी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि 525 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी दर अनुसार वैल्यू 525X33.61=17645.25/– रूपये बनती है। जिसका दुगुना शुल्क प्रार्थी को जमा कराना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रस्तावित रास्ता नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

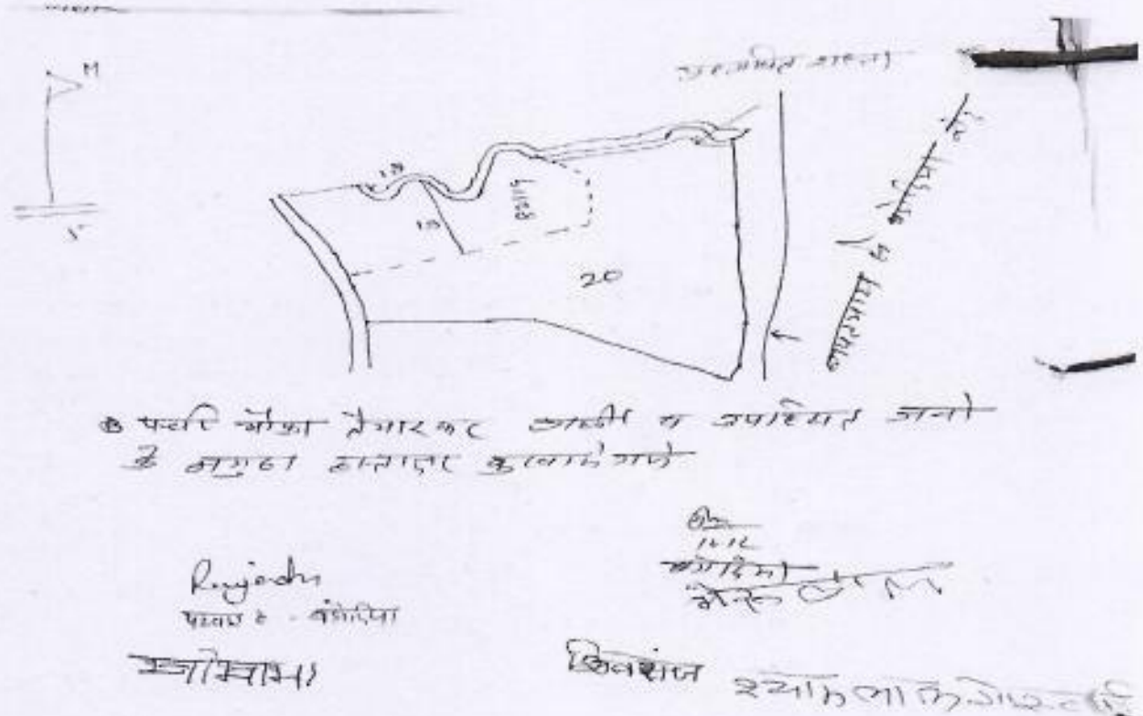

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 18. खसरा संख्या 82/19 कुल किता 1, कुल रकबा 0.5400 हैक्टर लगानी 2.1600 पैसे जो खाते में मुझ प्रार्थी के खाते नाम दर्ज रिकॉर्ड है, जो कि उक्त कृषि आराजीयात पर मै प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूँ। उक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजीयात कि आराजी संख्या 82/19 पर आने जाने का रास्ता रावतभाटा रामगंजमण्डी मैन रोड से ग्राम खाजुपुरा कि खाता संख्या 14 खसरा संख्या 20 जो अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 के नाम खाते दर्ज रिकॉर्ड है से होता हुआ प्रार्थी के खेत पर नाले के पास पास आता है, उक्त रास्ता ग्राम खाजुपुरा कि आराजी संख्या 20 मे गाडी गडार बनकर निकला हुआ है, जिसे अप्रार्थीया गीताबाई द्वारा हांक कर बंद कर दिया गया है, जिससे मै प्रार्थी अपने खाते कि कृषि आराजीयात पर आ जा नहीं पा रहा हूँ तथा वर्तमान में मेरे खाते कि कृषि भूमि पड़त पड़ी हुई है। उक्त आराजी पर आने जाने का एक मात्र रास्ता यही है तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम नहीं है, रास्ते को तरमीम करने का निवेदन किया है इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार को देने को तैयार है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि पर अन्य पडोसी आराजीयात से रास्ता चालू है। मुझ अप्रार्थी की खातेदारी भूमि पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 01, 3, 4, 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश होने से रास्ता दिए जाने में किसी प्रकार का खण्डन नहीं हुआ है एवं तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थी की कृषि भूमि पर आने–जाने का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा प्रस्तावित रास्ता जो न्यूनतम दूरी का आराजी संख्या 20 का होने से प्रस्ताव स्वीकार कर विपक्षीगण संख्या 01 से 05 की आराजी संख्या 20 के पूर्वी दिशा में मेड के सहारे सहारे होकर प्रार्थी की आराजी संख्या 82/19 तक जाने के लिए रास्ता प्रस्तावित होकर मुख्य रास्ते से मिलता है। इस रास्ते में आराजी संख्या 20 (525 वर्गमीटर) भूमि काम आयेगी। ग्राम खाजुपुरा की आराजी संख्या 20 की मेड के सहारे सहारे पर से रकबा 525 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 336174/ रू. प्रति है0 से 525X33.61=17645.25 रूपये की दुगुनी राशि कीमत 35291/– रू बनती है।

न्यायालय ने अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में निवेदन किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 82/19 रकबा 0.54 हेक्टेयर स्थित मौजा खाजुपुरा प0ह0 बडोदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़ के खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खातेदारी भूमि चारों ओर से निजी खातेदारी भूमि से घिरी हुई है तथा भूमि तक पहुंच हेतु कोई राजकीय अथवा निजी सार्वजनिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया गया कि वर्तमान में प्रार्थी को कृषि कार्य संपादन, कृषि यंत्रों की आवाजाही, फसल कटाई, उपज परिवहन एवं पशुधन आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अप्रार्थीगण से आपसी सहमति से रास्ता देने का निवेदन किया गया, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता उपलब्ध नहीं कराया गया। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा न्यायालय की शरण ग्रहण करते हुए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित खसरा संख्या 20 में से न्यूनतम दूरी का रास्ता स्वीकृत किये जाने की प्रार्थना की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नियमानुसार नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1,3,4,5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने व अप्रार्थी संख्या 02 का जवाब बन्द होने से किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ है। प्रकरण में तहसीलदार रावतभाटा से मौका रिपोर्ट एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु कोई व्यवहारिक एवं सुगम वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का होकर खसरा संख्या 20 में से गुजरना पाया गया। गिरदावर कानूनगो एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में भी यह उल्लेखित किया गया कि प्रस्तावित मार्ग व्यवहारिक, आवश्यक एवं न्यूनतम क्षति वाला मार्ग है तथा उक्त मार्ग स्वीकृत किये जाने से प्रार्थी को कृषि उपयोग हेतु समुचित आवागमन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। प्रकरण में उपलब्ध नक्शा शजरा, जमाबंदी प्रतिलिपि, मौका रिपोर्ट एवं पक्षकारों के कथनों का अवलोकन

एवं परीक्षण किया गया। परीक्षण से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु कोई समुचित वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित मार्ग न्यूनतम दूरी का एवं व्यवहारिक मार्ग पाया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 की धारा 251 क एवं राजस्थान काश्तकारी(सरकार) नियम 68 लगायत 70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी खातेदारी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की खातेदारी आराजी में से होकर कुछ शर्तो के अधीन नवीन रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है । इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्व शर्तों को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

- प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
- खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
- लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

वर्तमान प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व अधिकारियों की मौका रिपोर्ट से प्रार्थी की आवश्यकता वास्तविक एवं न्यायसंगत तथा चाहा गया अनुतोष धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत देय होना प्रमाणित होता है। अतः समस्त तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम खाजुपुरा, प०ह० बडोदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान की की खाता संख्या 18 खसरा संख्या 82/19 कुल किता 1, कुल रकबा 0.5400 हैक्टर भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 से 5 की आराजी संख्या 20 के पूर्वी मेर के सहारे–सहारे कुल 525 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 525 वर्गमीटर भूमि डीएलसी रेट अनुसार डीएलसी दर 336174/रू. अनुसार कीमत 17645.25 रू की दुगुनी दर से राशि 35291/रू. (अक्षरे रूपये पैंतीस हजार दौ सौ इकरानवे रू. मात्र) कीमतन का भुगतान संबंधित खातेदार हिस्से अनुसार किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि विपक्षी संख्या 1 से 5 की रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि 525 वर्गमीटर की राशि का भूगतान विपक्षी संख्या 01 से 05 को किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतू प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिजवाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में अमल हेतू तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा
जिला चितौडगढ़